2

मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

क्रमांक एफ 19—33 / 2006 / 12 / 1 भोपाल,दिनांक 25.03.2006

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
जिला.................
मध्यप्रदेश

विषयः—प्रदेश में पाईप लाईन , टेलीफोन लाईन बिछाने अथवा केबिल डालने संबंधी परियोजनाओं में खोदी जाने वाली मिट्टी का वापस उसी स्थान पर भराई किए जाने के आधार पर रायल्टी मुक्त अनुज्ञा देने के संबंध में।

केन्द्र शासन या राज्य शासन के द्वारा पाईप लाईन, टेलीफोन लाईन बिछाने अथवा केबल आदि डालने संबंधी लागू परियोजनाओं में मिटटी की खुदाई की जाकर उस मिटटी को पूर्णतः वापस उसी स्थान पर भर दिया जाता है ।

उपरोक्त विषय में समय समय पर विभिन्न प्रस्ताव अथवा आवेदन पत्र जिला कार्यालयों को रायल्टी मुक्त अनुज्ञा देने के लिए प्राप्त होने पर जिला कार्यालयों द्वारा शासन से मार्गदर्शन चाहा जाता है । इस प्रकार की कार्यवाही में स्वाभाविक रूप से समय लगता है जिससे प्रदेश में लागू मूलभूत सुविधाओं/अधोसंरचना विकास संबंधी इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति प्रतिकूल प्रभावित होती है ।

अतः पूर्ण विचारोपरान्त राज्य शासन यह स्पष्ट दिशा—निर्देश प्रसारित करता है कि पाईप लाईन , टेलीफोन लाईन बिछाने आदि कार्यों में जहाँ खोदी जाने वाली मिट्टी को पूर्णतः वापस उसी स्थान पर भराई किए जाने के आधार पर कार्य अनुमति प्रदान की गई हो ,ऐसे प्रकरणों में परीक्षण उपरान्त रायल्टी मुक्त अनुज्ञा देने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर को अधिकृत किया जाता है ।

परन्तु ऐसी अनुमति दिये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि खोदी गई मिट्टी खनिज का कोई वाणिज्यिक उपयोग अथवा अन्यत्र परिवहन नहीं किया जाना है बल्कि खोदी जाने वाली मिट्टी को पूर्णतः वापस उसी स्थान पर भरा जाना है ।

.... निरन्तर.....

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित द्वारा यदि इस प्रकार खोदे गए मिटटी खनिज का कोई वाणिज्यिक उपयोग अथवा अन्यत्र परिवहन किया जाने की स्थिति में नियमानुसार अग्रिम रायल्टी जमा करा कर ही जिला कलेक्टर अनुमति दे सकेंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार,

(उमर फारूख खटानी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग

पृ0क्र0एफ 19—33/2006/12/1 भोपाल,दिनांक 25.03.2006

प्रतिलिपि—

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. कलेक्टर, शाजापुर की ओर उनके प्रस्ताव दिनांक 14.3.2006 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, खनिज साधन विभाग,भोपाल
4. निज सचिव, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग,भोपाल
5. गार्ड फाईल

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,खनिज साधन विभाग